

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2009/टेली/आरसीआईएल/1

नई दिल्ली, 11-06-2012

20/7

दूरसंचार परिपत्र सं.05/2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

विषय: रेलवे द्वारा रेलटेल को एमपीएलएस वीपीएन के उपयोग के लिए भुगतान किए जाने वाले पोर्ट प्रभारों का निर्धारण।

रेलवे द्वारा रेलटेल को एमपीएलएस वीपीएन के उपयोग के लिए भुगतान किए जाने वाले पोर्ट प्रभारों के निर्धारण का मामला पिछले कुछ समय से बोर्ड के विचाराधीन रहा है। बोर्ड ने एमपीएलएस वीपीएन पोर्ट प्रभारों का निम्नानुसार भुगतान करने का अनुमोदन दिया है:-

पोर्ट कैपेसिटी	वार्षिक पोर्ट प्रभार
2 एमबी	57324
10 एमबी	200634
45 एमबी	722282
155 एमबी	2106657

- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- कृपया पावती दें।

राकेश

(राकेश रंजन)

निदेशक/दूरसंचार

सं.2009/टेली/आरसीआईएल/1

नई दिल्ली, 11-06-2012

20/7

प्रतिलिपि:

- वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
- भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

कृपया जारी करें
20/7/12

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि:

- एफ (एक्स) II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- सीएसटीई, सभी भारतीय रेलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
- प्रबंध निदेशक/रेलटेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूचनार्थ

